

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

मि.स.576/एग्जिट/2015/एसडीआर-खण्ड-1

दिनांक: 28 सितम्बर, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

बिहार,

पटना।

विषय-बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2015- एग्जिट पोल -
तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/2015/एसडीआर-खंड-1 को एतद्वारा इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग के रिकॉर्ड हेतु भेज दी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउसेस, रेडियो तथा टेलिविजन चैनल इत्यादि सहित सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना चाहिए।

भवदीय,



(आनन्द कुमार पाठक)

अवर सचिव

राज्य के शासकीय
राजपत्र में तत्काल प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 576/एग्जिट/2015/एस.डी.आर-खण्ड-1
2015

दिनांक: 28 सितम्बर,

6 अश्विन, शक 1937

अधिसूचना

यतः बिहार राज्य विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 09 सितम्बर, 2015 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/53/2015 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा।

3. यतः अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा दिनांक 12-10-2015 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से दिनांक 5-11-2015 (बृहस्पतिवार) अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/53/2015 दिनांक 9 सितम्बर, 2015 के द्वारा घोषित बिहार राज्य विधान सभा के लिए चालू साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

